भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2622**
जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

**न्यायालयों में छोटे-मोटे मामलों का निपटारा**

2622. श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:
श्री भोजराज नाग:
श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को न्यायालयों में चल रहे छोटे-मोटे मामलों का निपटारा करने में सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) ऐसे मामलों में अब तक, विशेषकर त्रिपुरा राज्य के संदर्भ में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

**(क) और (ख):** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2001 में 'लोक अदालतों के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की देयराशियों के समझौता निपटान के लिए दिशानिर्देश' जारी किए, जिसमें इसने बैंकों को 5 लाख रुपए तक की राशि वाले बैंकिंग विवादों के निपटान के लिए लोक अदालतों के फोरम का अधिकाधिक उपयोग करने की सलाह दी है। वर्ष 2004 में उक्त मौद्रिक सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई थी। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है, जहां न्यायालय में या मुकदमेबाजी के पूर्व चरण में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटान/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अध्यधीन लोक अदालतों को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है।

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, एससीबी द्वारा 1,26,92,211 मामले लोक अदालतों को भेजे गए थे और एससीबी ने इन मामलों में 3,325 करोड़ रुपए वसूले हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), त्रिपुरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान त्रिपुरा में लोक अदालतों के माध्यम से बैंकों द्वारा 4,223 मामलों का निपटान किया गया, जिनमें से प्रत्येक पर 20 लाख रुपये तक का बकाया है और कुल बकाया 30.55 करोड़ रुपये है।

*****